



2026:AHC:63765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2055 सन् 2026

गुलबहार

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

—

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : वरुण कीर्ति, इंदु तिवारी, रवि कांत शुक्ला

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ; और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

2. आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 1121 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारयाँ 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 111, 338, 61(2) के अन्तर्गत, थाना - देवबंद, जिला सहारनपुर, में वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दायर की गई, जिसमें विचारण के समापन तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करते हैं:-

i. आवेदक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार दो आरोपियों के लिए जमानती बनकर खतौनी दायर करने का आरोप है।

ii. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य भी मान लिए जाएं, तो भी कोई अपराध नहीं बनता है।

iii. इस मामले में 60 आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई और आरोपियों की सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 8 पर है।

v. आवेदक ने मामला अपराध संख्या 218 सन् 2025, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर में आरोपी राजन पुत्र जय भगवान, और मामला अपराध संख्या 178 सन् 2025, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर में आरोपी साजिद पुत्र राशिद के लिए प्रतिभू दी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v. आवेदक उपरोक्त मामले में आरोपी, राजन, की डेयरी में काम करता था और उसने उसके लिए प्रतिभू दी थी और आरोपी साजिद आवेदक की भाभी के पति (साधु) का भाई है।

vi. आवेदक ने 25,000/- रुपये की जमानत के लिए अपना खसरा और खतौनी दायर किया था और प्रतिभू के रूप में रखी गई जमीन का मूल्य जमानत राशि से कहीं अधिक है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें दोनों मामले मामला अपराध संख्या 2 सन् 2019, भा0द0सं0 की धारायें 323, 325, 504 और 506 के अन्तर्गत, थाना गगलहेरी, जिला सहारनपुर, और मामला अपराध संख्या 110 सन् 2020, भा0द0सं0 की धारायें 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत अभिलिखित हैं।

5. इस मुद्दे पर पुनः विचार करते हुए, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक मामला अपराध संख्या 2 सन् 2019 में जमानत पर है। दूसरे मामले के लिए, विद्वान आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि यह जमानत कोविड-19 महामारी के दौरान लगाई गई थी, जिसे अब सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।

5. मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

6. आवेदक ने एक ही खसरा और खतौनी दायर करके दो आरोपियों के लिए प्रतिभू दी है और इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है जो डेयरी में काम करता है। उसका कहना है कि दोनों मामलों में जमानत के तौर पर रखी गई जमीन इतनी मूल्यवान है कि दोनों प्रतिभूओं का खर्च वहन कर सकती है।

7. न्यायालय की राय में, मामले की अन्वेषण के लिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का विधिवत स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। आवेदक एक गरीब मजदूर है।

8. इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की आर्थिक स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उससे किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

10. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक-गुलबहार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना के भार साधक अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;
- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदक पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला)

26 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"